



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072020-220402
CG-DL-E-07072020-220402

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1976]
No. 1976]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/ आषाढ 16, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASHADHA 16, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

का.आ. 2233(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (वेतन, भत्ते तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2020 के साथ पठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 5(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री इंजेती श्रीनिवास, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) (ओआर: 1983) को पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 4/1/2020-आर.ई.]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(Financial Market Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2020

S.O. 2233 (E).— In exercise of the powers conferred by section 5(1) of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019) read with International Financial Services Centres Authority (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules 2020, the Central Government hereby appoints Shri Injeti Srinivas, IAS (Retd.) (OR: 1983) as the Chairman of International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for a period of three years from the date of assuming charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2020-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.